राजस्थान–सरकार
पशुपालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ.बी. 5(3) प.पा./विस्तार/14337 दिनांक– 15.02.2018

पशुपालकों के लिए अतिआवश्यक सूचना

समस्त पशुपालकों/अश्वपालकों को सूचित किया जाता है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले पशु मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने से पूर्व घोड़ों में ग्लेण्डर्स रोग की पुष्टि के लिए एलिसा अथवा सी.एफ.टी. जाँच अनिवार्य है।

श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, बाड़मेर में प्रतिभागी घोड़ों के लिए ग्लेण्डर्स रोग के सर्वेक्षण तथा निदान के लिए 17 फरवरी से 24 फरवरी 2018 तक नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सा संस्था में सम्पर्क कर जांच हेतु सीरम सैम्पल का संग्रहण आवश्यक रूप से करावें।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि अश्व वंशीय पशुओं को ग्लेण्डर्स रोग की पुष्टि के लिए अनिवार्य एलिसा अथवा सी.एफ.टी. परीक्षण में निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, बाड़मेर में प्रवेश दिया जायेगा। निगेटिव जांच रिपोर्ट के अभाव में अश्व वंशीय पशुओं को मेला क्षेत्र में किसी भी हालात में प्रवेश नही होने दिया जायेगा, जिसके लिए पशुपालक/अश्वपालक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

राज्य के धौलपुर, अजमेर, राजसमंद एवं उदयपुर जिलें से घोड़ों की आवाजाही प्रतिबंधित होने के कारण इन जिलों के अश्व वंशीय पशुओं की प्रतिभागिता पर पूर्णतया रोक रहेगी।

सभी पशुपालकों/अश्वपालकों से विनम्र अपील है, कि प्रदेश की अमूल्य पशुधन सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

(डा. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक